रा.मु.अ.33 4-2000-10 लाख फा.

APP
Cell

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत

कलेक्टर .... मुकाम .... बांदीकुई

किस्म मुकदमा .... प्रा.पत्र अंतर्गत धारा 251 A RT Act .... मोतीलाल वगैरह .... बनाम .... राजस्थान सरकार ....

नं० .... 137 .... सन् .... 2025 ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/01/2026	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी श्री मोतीलाल द्वारा दिनांक 20.11.2025 को प्रार्थना पत्र नाम हजफ करने बाबत इस आशय से पेश किया कि अप्रार्थीया कौशल्या पत्नी छोटेलाल जाति माली निवासी नेदेरा फौत हो चुकी है अप्रार्थीया के वारिसान पहले से रिकॉर्ड पर है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थीया कौशल्या पत्नी छोटेलाल का नाम हजफ बाबत निवेदन किया। हमने प्रा.पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया जिसके आधार पर प्रार्थी प्रा.पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी से 02 का नाम हजफ के आदेश दिये जाते है। अप्रार्थी से 6 व 7 द्वारा जवाब पेश नहीं किया जबकि जवाब पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये गये है। तथा अप्रार्थी से 3,4,5 द्वारा दिनांक 21.4.2025 को उपस्थित होकर रास्ता कायम करने बाबत [illegible] पर सहमति प्रकट की गयी उस बाबत अप्रार्थी से 6 व 7 का जवाब बंद किया जाता है। [illegible] अप्रार्थी से 6 व 7 का जवाब बंद किया जाता है। प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 A पर उभयपक्ष वकील बहस सुनी। उभयपक्ष वकील बहस पर मनन किया। हमने प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष वकील बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर प्रार्थीगण प्रा.पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण प्रा.पत्र अंतर्गत धारा 251 A RT Act स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पालना हेतु तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली बैसल शुमार होकर बाद तकमील शामिल रिकार्ड हो। [signature] 20/1/26 उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई	

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई (दौसा)

Ph.-01420-228467 E-Mail- [illegible]

प्रकरण संख्या 137 / 2025
प्रकरण दायर दिनांक 03.10.2025
प्रकरण निर्णय दिनांक 20.01.2026

उनवान

01. मोतीलाल पुत्र पांच्या
02. रामजीलाल पुत्र पांच्या
03. कैलाश चन्द पुत्र पांच्या
04. गोकुल चन्द पुत्र पांच्या
05. मन्नी देवी पुत्री पांच्या
06. अंगूरी देवी पुत्री पांच्या
07. पिंकी पुत्री पप्पूलाल
08. लोकेश पुत्र पप्पूलाल
09. मकोली देवी पत्नि पप्पूलाल

} जाति माली निवासी नंदेरा तहसील बांदीकुई जिला दौसा

प्रार्थीगण

बनाम

01. राजस्थान सरकार भूअ. तहसीलदार तहसील बांदीकुई
02. कौशल्या पत्नि छोटेलाल (फौत)
03. चिरंजीलाल पुत्र छोटेलाल
04. बनवारी लाल पुत्र छोटेलाल
05. भोलू पुत्र छोटेलाल
06. सरपंच ग्राम पंचायत नंदेरा प.सं. बांदीकुई
07. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत नन्देरा पं. स. बांदीकुई

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए रा0 लै0रे0 एक्ट

प्रार्थीगण द्वारा विरूद्ध अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए रा. लै. रे. एक्ट जर्ये वकील श्री राजेश कुमार के इस आशय से पेश किया कि ग्राम नन्देरा तहसील बांदीकुई जिला दौसा में प्रार्थीगण की संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि खाता संख्या नया 59 पुराना 54 के खसरा नंबर 471, 472 कुल किता 2 कुल रकबा 0.94 हैक्टेयर स्थित है। अप्रार्थीगण 02 लगायत 05 की सहखातेदारी की भूमि खाता संख्या नया 83 पुराना 78 के खसरा नंबर 460, 933 कुल किता 2 कुल रकबा 0.55 हैक्टेयर स्थित ग्राम नंदेरा तहसील बांदीकुई जिला दौसा में स्थित है। भूमि खसरा नंबर 464 रकबा 0.04 हैक्टेयर गै. मु. आबादी की भूमि स्थित है। उक्त भूमि खसरा नंबर 464 रकबा 0.04 हैक्टेयर गै.मु. आबादी में होकर जा रहे रास्ते की भूमि पर भी पूर्व में अप्रार्थीगण के द्वारा अवरोध किया था जिसको ग्राम पंचायत के द्वारा अतिक्रमण मुक्त करवा दिया गया जिसकी बाबत ग्राम पंचायत को प्रार्थीगण की ओर से वकील के द्वारा दिये गये नोटिस के जबाब से प्रार्थीगण को अवगत करवा दिया कि उक्त भूमि में होकर रास्ता चालू है। प्रार्थीगण अपनी कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि उक्त खसरा नंबर 472 रकबा 0.90 हैक्टेयर में भूमि खसरा नंबर 464 रकबा 0.04 हैक्टेयर गै.मु. में होते हुये अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नंबर 460 रकबा 0.34 हैक्टेयर में होकर अर्से दराज बजमाने बुजुर्गान से आते जाते रहे है जो कि 20 फुट चौडाई का रास्ता है उक्त रास्ते को नजरी नक्शे में मार्क ए०बी० से दर्शित किया गया है प्रार्थीगण की खातेदारी की

२५६-

Scanned with OKEN Scanner

भूमि में आने जाने का उक्त रास्ता जो कि हरीपुरा गांव को जाने वाली पुख्ता सडक तक जाता है तथा खसरा नम्बर 462 जो कि राजस्व रिकार्ड में गै०मु० रास्ते के रूप में दर्ज है से जोडता है। प्रार्थीगण की काश्त की भूमि खसरा नम्बर 472 रकबा 0.90 है० में आने जाने का यही एक मात्र रास्ता है इसके अलावा प्रार्थीगण को अपनी काश्त खसरा नंबर 472 में आने जाने का कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है उक्त रास्ता जिसे नजरी नक्शे में मार्क ए०बी० हरूफ से दर्शाया गया है को प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आने जाने के लिये रास्ता घोषित किया जाना इंसाफन न्यायोचित है प्रार्थीगण उक्त रास्ता के काम आने वाली भूमि के लिये नियमानुसार राशी भी जमा कराने को तैयार है। प्रार्थीगण अपने खेत खसरा नम्बर 472 रकबा 0.90 है० में से अपनी फसल को मण्डी ले जाने, खेतो की बुवाई जुताई कटाई के लिये ट्रेक्टर व अन्य कृर्षि साधन लाने व ले जाने के लिये रास्ता मार्क ए०बी० का ही उपयोग करते है परन्तु उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में रिकॉर्डेड रास्ते के रूप में दर्ज नहीं है जिसके कारण अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण को अपने खेत खसरा नम्बर 472 रकबा 0.90 है० में आने जाने के लिये व्यवधान उत्पन्न करते है इस कारण भूमि खसरा नम्बर 460 में होकर 20 फुट चौडाई का रास्ता नक्शा संलग्न हाजा में मार्क ए०बी० को प्रार्थीगण को अपनी काश्त की भूमि में आने जाने के लिये रास्ता 20 फुट चौडाई का घोषित किया जाकर उसका अंकन राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किया जाना कानूनन एव इंसाफन न्यायोचित है । प्रार्थी ने अप्रार्थीगण सं० 2 लाॅ० 5 को ग्राम पंचायत एवम तहसीलदार को रास्ते में किये गये अतिक्रमण को हटाने के लिये कहां तो ग्राम पंचायत ने अतिक्रमण हटाने से मना कर दिया इसके बाद अप्रार्थी नं००६ वको विधिक नोटिस दिनांक 22/7/2025 को दिलवाया गया जिसका जवाब ग्राम पंचायत नन्देरा द्वारा दिनांक 31/7/2025 को जवाब दिया गया जिसमे स्पष्ट अंकित किया गया है कि आबादी की भूमि पर किसी प्रकार का रास्ता अवरूद्ध नही है तथा दिनांक 21/7/2025 को उक्त रास्ते को गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज करवाने का आग्रह भी किया था परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा स्पष्ट इंकार कर दिया जिस पर प्रार्थीगण ने अप्रार्थी नं० 1 के यहां रास्ते की बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर अप्रार्थी नंबर 01 ने न्यायालय मे कार्यवाही करने को कहा इसलिये प्रार्थीगण को न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए रा. ले. रे. एक्ट में पेश करना लाजिम आया। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए रा. ले. रे. एक्ट मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी की खसरा नम्बर 472 रकबा 0.90 है० में भूमि खसरा नम्बर 464 रकबा 0.04 है० गै० मु० आबादी एवं खसरा नम्बर 462 गै० मु० रास्ता में होते हुये अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 460 रकबा 0.34 में होकर अर्से दराज बजमाने बुजुर्गान से आते जाते रहे है जो कि 20 फुट चौडाई का रास्ता है उक्त रास्ते को नजरी नक्शें में मार्क ए०बी० से रास्ता दिये जाने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करें एव उक्त रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड मे गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावें । प्रार्थीगण उक्त रास्ते में काम में आने वाली भूमि के बदले भूमि देने को तैयार या डी एल सी राशी देने को तैयार है जैसा भी न्यायालय उचित समझे प्रार्थीगण आदेश की पालना करने पर तत्पर है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण जर्ये नोटिस/सम्मन विधिवत की गयी। अप्रार्थी संख्या 01 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर अप्रार्थी संख्या 01 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। अप्रार्थी संख्या 06, 07 की ओर से एडवोकेट श्री शम्भूदयाल ने पावर पेश की। दिनांक 02.12.2025 को अप्रार्थीगण संख्या 03, 04, 05 स्वयं उपस्थित आये एवं रास्ता कायम करने की सहमति प्रकट की।

a५६-

अप्रार्थीगण वकील द्वारा जबाब पेश नहीं कर सीधे बहस की गयी। तहसीलदार बांदीकुई के पत्रांक 10022 दिनांक 17.11.2025 के द्वारा अवगत करवाया है कि ग्राम नंदेरा के आराजी खसरा नंबर 460 में खातेदार कौशल्या पत्नि छोटेलाल हिस्सा 1/4 चिरंजीलाल, बनवारीलाल, भोलू पि. छोटेलाल हि. ब. 3/4 जाति माली सा. देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है उक्त खसरे पर किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है। खसरा नंबर 460 में से 4 मीटर चौडा एवं 16 मीटर लम्बा कुल क्षेत्रफल 64 वर्गमीटर रास्ता के लिये प्रस्तावित किया है जिसकी तरमीम लाल स्याही से नक्शा ट्रेस में कर संलग्न है इसके अलावा अन्य कोई उपयुक्त या कम लम्बाई का रास्ता नहीं है।प्रस्तावित रास्ते में वर्तमान में कोई पक्का निर्माण नहीं है। प्रस्तावित रास्ता हरिपुरा से नंदेरा जाने वाला सडक मार्ग से खसरा नंबर 462 किस्म गै.मु. रास्ता उसके बाद खसरा नंबर 464 गै.मु. आबादी में मौके पर आदिनांक रास्ता चालू है। बाद खसरा नंबर 460 में से रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

प्रार्थीगण द्वारा अपनी कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी भूमि खसरा नंबर 471, 472 में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण के खसरा नंबर 460 में से रास्ता चाहा गया है तहसीलदार बांदीकुई द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 17.11.2025 द्वारा खसरा नंबर 460 में से 4 मीटर चौडा एवं 16 मीटर लम्बा कुल क्षेत्रफल 64 वर्गमीटर रास्ता के लिये प्रस्तावित किया है जिसकी तरमीम लाल स्याही से नक्शा ट्रेस में कर संलग्न है इसके अलावा अन्य कोई उपयुक्त या कम लम्बाई का रास्ता नहीं है।प्रस्तावित रास्ते में वर्तमान में कोई पक्का निर्माण नहीं है। प्रस्तावित रास्ता हरिपुरा से नंदेरा जाने वाला सडक मार्ग से खसरा नंबर 462 किस्म गै.मु. रास्ता उसके बाद खसरा नंबर 464 गै.मु. आबादी में मौके पर आदिनांक रास्ता चालू है।बाद खसरा नंबर 460 में से रास्ता प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित रास्ता खातेदारी भूमि में न्यूनतम दूरी का है प्रस्तावित रास्ता खसरा नंबर 460 में से 4 मीटर चौडा एवं 16 मीटर लम्बा कुल क्षेत्रफल 64 वर्गमीटर भूमि उपयोग में आयेगी। राज्य सरकार द्वारा **RT ACT** की संशोधित धारा 251 ए खातेदार एवं काश्तकार को रास्ते की सुविधा की भावना से संशोधित किया गया है जिसके अनुसार कम दूरी पर सुविधानुसार काश्तकार अपने खेतो पर सुगम तरीके से पहुंच सके। तहसीलदार बांदीकुई की रिपोर्ट दिनांक 17.11.2025 द्वारा प्रार्थीगण को अपनी आराजी भूमि तक आने जाने के लिए अप्रार्थीगण के खसरा नंबर 460 में से 4 मीटर चौडा एवं 16 मीटर लम्बा कुल क्षेत्रफल 64 वर्गमीटर भूमि का रास्ता न्यूनतम दूरी का होने से व चालू होना प्रस्तावित होने के मध्यनजर तहसीलदार बांदीकुई की रिपोर्ट में प्रस्तावित अप्रार्थीगण के खसरा नंबर 460 में 4X16=64 वर्गमीटर भूमि रास्ते हेतु अवाप्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन से प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए बरूये तहसीलदार बांदीकुई की रिपोर्ट के संलग्न भू. अ. नि. बांदीकुई व पटवारी हल्का श्यालावास खुर्द दिनांक 17.11.2025 के स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वकील उभयपक्ष बहस पर मनन करने एवं तहसीलदार बांदीकुई से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर आदेश है कि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान टीनेन्सी एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि खाता संख्या नया 59 पुराना 54 के खसरा नंबर 471, 472 में आने जाने के लिए अप्रार्थीगण के खसरा नंबर 460 में 4X16=64 वर्गमीटर भूमि रास्ते हेतु अवाप्त की जाती है। रास्ते में अवाप्त भूमि को खातेदारी से कम कर सार्वजनिक गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें। प्रार्थीगण रास्ते में अवाप्त भूमि की मुआवजा राशि प्रचलित डी. एल.सी.दर से दोगुनी राशि तहसीलदार बांदीकुई को विधिवत जमा करावें। तहसीलदार बांदीकुई वांछित राशि जमा कर संबंधित खातेदार को नियमानुसार भुगतान करें तथा

तहसीलदार बांदीकुई उक्त अवाप्त रास्ते के लिए प्रस्तावित भूमि को विधिवत राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद करें। पालना हेतु तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

20/1/26

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner